

मध्यप्रदेश शासन
गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
// आदेश //

भोपाल, दि. 28.02.2017

क्रमांक एफ 1-4/2017/ब-2/दो, राज्य शासन द्वारा आवंटन वर्ष 1992 के श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे (1992), पुलिस महानिरीक्षक, जबलपुर जोन, जबलपुर को भारतीय पुलिस सेवा के वेतन मैट्रिक्स-15 (रूपये 182200-224100) में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के पद पर पदोन्नत कर, अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, जबलपुर जोन, जबलपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है ।

2. श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे के द्वारा अपनी नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से भापुसे (वेतन) नियम 2007 के नियम-11 के अंतर्गत तालिका के कालम 04 में दर्शित जो पद असंवर्गीय हैं, उन पदों को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची 11-क के अंतर्गत अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित किया जाता है। उक्त आदेश दिनांक 01.03.2017 से प्रभावशील होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(डी.एस.मुकाती)
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग

पृ.क्रमांक एफ 1-4/2017/ब-2/दो
प्रतिलिपि-

भोपाल, दि. 28.02.2017

01. सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
 02. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
 03. प्रमुख सचिव (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल ।
 04. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मान. मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
 05. अपर मुख्य सचिव, गृह के स्टाफ आफिसर ।
 06. विशेष सहायक, मान. मंत्री, गृह, मंत्रालय, भोपाल ।
 07. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
 08. पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, भोपाल ।
 09. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क, वल्लभ भवन, भोपाल ।
 10. संबंधित अधिकारी द्वारा पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
 11. गृह विभाग, कक्ष ब-2, लेखा ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग